



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231078
CG-DL-E-13112021-231078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4324]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943

No. 4324]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4689(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज-नागोथाने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आव यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके प चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आ य की घोशणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उपयोग

के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टे 1न- 08, गांव – वाहोली, पोस्ट – वाहोली, कल्याण मुरबाड रोड, कल्याण – 421301, महाराष्ट्र राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : वाडा	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं./सब डिविजन सं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
1) बिलोशी	20 / 2	00	14	72
	13 *	00	03	75
	778 *	00	01	33
	97	00	00	97
2) खरीवली तर्फे पौलबार	358 *	00	10	71
	155 / पै	00	08	51
	95	00	17	51
	215 *	00	22	02
	214 *	00	00	41
	221 *	00	02	20
	19 *	00	03	53
	17 *	00	02	85
3) चिंचघर	381 *	00	02	49
	411 *	00	04	08
	466	00	36	45
	477	00	29	22
	452	00	38	35
	472	00	06	07
	471	00	05	67
	467	00	12	32
	491 *	00	02	02
	476 / 1	00	10	62
	389	00	07	52
	502 *	00	08	29
	474	00	07	60
	179	00	01	00
4) विजयगड	7 / 8	00	08	45
	9 / 2 *	00	08	00
	11 / 2अ	00	08	64
	11 / 1 / अ / 3	00	16	41
	7 / 7पै	00	14	28
	9 / 4	00	02	45
	7 / 4 *	00	04	45
	7 / 3 *	00	01	60

* का.आ. 2158(अ) दिनांक 31.07.2015 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

[फा. सं. एल.-14014/121/2021-जी.पी.-II(ई-40064)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2021

S.O. 4689(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s. Reliance Industries Limited (RIL), RIL's dedicated Dahej - Nagothane Liquid Ethane pipeline should be laid by M/s. Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed here to;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying the said pipeline under the land to Competent Authority, Reliance Ethane Pipelines Limited, Compressor Station-08, Village- Vaholi, Post- Vaholi, Kalyan Murbad Road, Kalyan - 421301, Maharashtra State.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Wada	District : Palghar	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Biloshi	20/2	00	14	72
	13*	00	03	75
	778*	00	01	33
	97	00	00	97
2) Kharivali Tarf Poulbar	358*	00	10	71
	155/P	00	08	51
	95	00	17	51
	215*	00	22	02
	214*	00	00	41
	221*	00	02	20
	19*	00	03	53
	17*	00	02	85
3) Chinchghar	381*	00	02	49
	411*	00	04	08
	466	00	36	45
	477	00	29	22
	452	00	38	35
	472	00	06	07

	471	00	05	67
	467	00	12	32
	491*	00	02	02
	476/1	00	10	62
	389	00	07	52
	502*	00	08	29
	474	00	07	60
	179	00	01	00
4) Vijaygad	7/8	00	08	45
	9/2*	00	08	00
	11/2A	00	08	64
	11/1/A/3	00	16	41
	7/7P	00	14	28
	9/4	00	02	45
	7/4*	00	04	45
	7/3*	00	01	60

* Additional Area to 3(1) Notification S.O. 2158(E) dated 31-07-2015

[F. No. L-14014/121/2021-GP-II (E-40064)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.